

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10

लाइसेन्स दू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

### उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

#### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2009

फाल्गुन 9, 1930 शक सम्वत्

#### उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग–1

संख्या 493 / 79-वि-1—09-1(क)9-2009 लखनऊ, 28 फरवरी, 2009

#### अधिसूचना

#### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2009 के रूप में शर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2009)

| जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

उर्दू अरबी और फारसी भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान के लिए लखनक, उत्तर प्रदेश में अरबी फारसी विश्वविद्यालय की रथापना के लिए उपबंध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय-एक

#### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्म

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अरवी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम. 2009 কল্ল जायेगा।
  - (2) उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषार्थे

- 2- इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
  - (1) ''विद्या परिषद'' ''सभा'' और ''कार्य परिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय क्
  - (2) "संबद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी रांस्था से है जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध हो ;
  - (3) ''सहयुक्त महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो विश्वविद्यालय़ द्वारा मान्यता प्राप्त हो;
  - (4) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
  - (5) विश्वविद्यालय का 'छात्र निवास' (या महाविद्यालय) का तात्पर्थ छात्रों के निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोपित या गान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो
  - (6) विश्वविद्यालय का "छात्रावास" का तात्पर्य छात्र निवास से भिन्न छात्रों हे निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या गान्यत्। प्राप्त हो तथा "संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास" का तात्पर्य उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई से है;
  - (7) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;
  - (8) किसी संबद्ध सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्राचार्य" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय के प्रधान से हैं;
  - (9) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" का तात्पर्थ विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है:
  - (10) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' और ''विनियम'' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम रो है;
  - (11) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय के किसी संस्थान या किसी घटक, सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित् हो:
  - (12) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित अरबी फारसी विश्वविद्यालय से हैं।

#### अध्याय-दो

#### विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन

3--

6---

- (1) लखनऊ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय, के नाग् से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य 4-- विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को उर्दू अरबी एवं फारसी भाषा के शिक्षण एवं अनुसंधान द्वारा उन्नत ज्ञान, प्रज्ञा एवं सगडा प्रदान करना होगा।

विश्वविद्यालय रागी वर्गों और पंथ के लिए होगा विश्वविद्यालय वर्ग था पंथ के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए होगा, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्याल<sup>ध्</sup> द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्र<sup>विद्य</sup> करना अपेक्षित है:

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियाँ अथवा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपविद्या बनाने से नहीं रोकेंगी।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कर्तव्य

- विश्वविद्यालय की निग्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात:--
  - (1) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण वी

- व्यवस्था करना और अनुसंघान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एव प्रसार के निमित व्यवस्था करना:
- (2) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना और सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कार्य का नियंत्रण करना;
- (3) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टयों को संस्थित करना:
- (4) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टयाँ स्वीकृत एवं प्रदान करना:—
  - (क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी संबद्ध महाविद्यालय में अथवा किसी सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या
  - (ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालय द्वारा उस निगित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अनुसंघान कार्य किया हो; या
  - (ग) जिन्होंने पत्राचार द्वारा, चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या उसके बाहर निवास करके, किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, और जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित की जाए, वाह्य अभ्यर्थियों के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गये हों; या
  - (घ) जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शतों के अधीन विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या किसी घटक या संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक या अन्य कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप नियोजित निरीक्षण अधिकारी हो, और अर्ह हो और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शतों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या
  - (ङ) जो महिलायें हों और अर्ह हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो: या
  - (च) जो नेत्रहीन हों और अर्ह हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो।
- (5) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अध्ययन किया हो, परीक्षायें आयोजित करना और उन्हें विश्वविद्यालय की उपाधि प्रदान करना;
- (6) परिनियमों में अधिकथित रीति तथा शर्तों के अधीन मानद उपाधियां अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टयाँ प्रदान करना:
- (7) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्विद्यालय के छात्र न हों. ऐसे डिप्लोग! देन। और उनके लिएं ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें;
- (8) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जैसी विश्वविद्यालय अवधारित करें:

- (9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन—पदों को संस्थित करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (10) छात्र निवास में शिक्षण देने के लिए अध्यापकों को मान्यता देना;
- (11) महाविद्यालयों की संबद्धता या मान्यता सम्बन्धी शर्ते अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्त पूरी की जा रही है;
- (12) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों (जिसके अन्तर्गत यात्रा अधिछात्रवृत्तियां भी हैं), विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (13) छात्र निवासों. तथा छात्रावासों को संस्थित तथा पोषित करना और विश्वविद्यालय संस्थानों या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना;
- (14) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जाएं:
- (15) विश्वविद्यालय, संस्थान तथा घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना;
- (16) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ; तथा
- (17) ऐसी सभी कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हो, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों!

#### अध्याय–तीन

#### विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्याहरू के अधिकारा

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:--

- (क) कुलाधिपति
- (ख) कुलपति
- (ग) वित्त अधिकारी
- (ध) कुलसचिव
- (ङ) परीक्षा नियंत्रक
- (च) संकायों के संकायाध्यक्ष
- (छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति.

- (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होंगे और जब वह उपस्थित हों तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त सभारोह का सभापत्तिव करेंगे।
  - (2) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि वे अध्यधीन होगा।
  - (3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति गांगे, प्रस्तुत करं।

- (4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाए।
- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये हों।
- (2) सिगति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:--
  - (क) एक व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संरथान घटक महाविद्यालय, सहयुक्ता या सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा, छात्रनिवास या छात्रावास से सम्बन्धित न हों) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद द्वारा किया जाना है (कुलपित की पदाविध की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कमं तीन मास पूर्व);
  - (ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, और
  - (ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा;

परन्तु जहां कार्य परिषद खण्ड-(क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खण्ड-(ग) के अधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति ,के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में नाम-निर्दिष्ट करेंगे।

- (3) उपधारा (7) के अधीन पदाविध समाप्ति अथवा पदत्याम के कारण, कुलपित के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपित द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये. समिति कुलाधिपित को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपित का पद धारण करने के उपयुक्त हो। समिति कुलाधिपित को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताए तथा अन्य विशिष्टियों का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।
- (4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति के लिए वयन करना तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नए नागों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।
- (5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट स्थिति में कुलाधिपति हारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है या यदि कुलाधिपति समिति हारा सिफारिश किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेंगे जो धारा (3) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेंगी।
- (6) समिति का कोई या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी

मुलपति

ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

- (7) (कं) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपित के पद पर नियुक्ति के लिए अहं होगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;
  - (ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;
  - (ग) कुलपति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं:

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

- (8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपित की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करें।
- (9) कुलपति राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा (33) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा

परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपित नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका यह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमित होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह उसके कुलपित नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।

- (10) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने के एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होंगे) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति की छः मास से अनधिक पदावधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करें ब्कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे:—
  - (क) जंहां कुलपित का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदाबधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपित को तुरन्त दी जाएगी;
  - (ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न सकता हो;
  - (ग) किसी अन्य आपात स्थिति में:

    परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति पद पर
    किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ी
    सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि
    जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है एक वर्ष से
- (11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन् करेगा।

अधिक न हो।

(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपतन्त्रों को कार्यान्वित नहीं करता या कार्यान्वित करने से इन्कार् करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपित का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपित को हटा सकते है।

- (13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि अग्रेतर आदेश तक:—
  - (क) ऐसा कुलपित, कुलपित के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;
    - (ख) कुलपित के पद के कार्य का सम्पादन, आदेश में विनिदिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा!

अधिकारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य 10— विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, कुलंसचिव, परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसी होंगी, जैसी निर्धारित की जाएं।

#### अध्याय-चार

#### विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- 11- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंग -
  - (क) कार्य परिषद
  - (ख) सभा
  - (ग) विद्या परिषद
  - (घ) वित्त समिति
  - (ङ) संकाय
  - (च) प्रवेश समिति
  - (छ) परीक्षाःसमिति : और
  - (ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जाएं।

कार्य परिषद का गठन

- 12-(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होंगे :-
  - (क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा
  - (ख) विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा यथा विहित रूप में चक्रानुक्रम से दो संकायों के संकायाध्यक्ष।
  - (2) (क) विश्वविद्यालय के दो आचार्य जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी संकायाध्यक्ष से भिन्न हों, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक, जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय
    - (ख) किसी सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य जिसका चयन ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय।
  - (3) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या संस्थान या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्र निवास हाल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामांकित न हो या उनकी सेवा में न हों।
  - (4) (क) कुलांधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले शैक्षणिक प्रतिष्ठा के আ व्यक्ति

(ख) ऐसे प्रख्यात उद्योगपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो:

परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो मा० उच्चतम न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय न्यायाधीश हो या रहा हो।

- (5) सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा कि जैसा कि विश्वविद्यालय के परिनियगों और अध्यादेशों, में विनिर्दिष्ट हो।
- (6) कोई भी व्यक्ति, कार्य परिषद का लगातार दो से अधिक अवधि के लिए सदस्य होगा।
- (7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को तब तक कार्य परिषद के सदस्य के रूप निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।
- (8) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और वने रहने के लिए अनह होगाँ यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम कि लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसकें निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविद्या स्वीकार करता है:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पाली करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण — इस धारा में, "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा-6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पति। (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भतीजा और भतीजी, भी है।

कार्य परिषद .की 13--शक्तियां और कर्तव्य

- (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य निकाय होगी और इस अधिनियाँ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तिया होगी अर्थात:—
- (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन
- (दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जनस्थाः अन्तरण करनाः
- (तीन) परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना; 🎆
- (चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययाधिकार में रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना;
- (पांच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;
- (छः) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अभिछात्र वृत्तियां, निर्धिः छात्रवृत्तियां, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना;
- (सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को निर्युक्त करना और उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित कर्ती और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिवित्तयों को भरने की व्यवस्था करना;
- (आठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना 📆

- (नौ) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना;
- (दस) संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों, छात्र—निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य ज़िवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना,
- (ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना,
- (बारह) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्गचारीवर्ग के सदस्यों के बीच अनुशासन को परिनियगों तथा अध्यादेशों के अनुसार विनियमित तथा प्रवर्तित करना;
- (तेरह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य—कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना, और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;
- (चौदह) विश्वविद्यालय के किसी धन को विनिधानित करना;
- (पन्द्रह) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
- (सोलह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना;
- (सत्रह) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।
  - (2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के विना कार्य परिषद, वन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्धन के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूरी मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।
  - (3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यथ उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जाएगा (अथवा सिवाय उन निर्देशों के जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य था विशेष रूप से दिये गये हों)।
  - (4) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और जयेष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने कर्तव्यभार की अविध में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियां अर्जित कर सके और भविष्य निधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके:

परन्तु ऐसे कर्त्तव्यभार की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविधालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

- (5) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सी अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के तथा अन्य भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाये
- (6) कार्य परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए के सिमित द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।
- (7) विद्या परिषद और सम्बद्ध संकायों के बोर्डी के परामर्श पर विचार किये कि कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या; अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्ष को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।
- (8) कार्य परिषद सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस्कूष्ट्रिं ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को, यथास्थिति, की कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।
- (9) कार्य परिषद परिनियमों में अधिकथित किन्ही शतों के अधीन रहते हैं विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अन्द्र द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समुद्र प्रत्यायोजित कर सकेगी।
- 14- (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :--

#### वर्ग - एक पदेन सदस्य

- (एक) कुलाधिपति. जो अध्यक्ष होंगे।
- (दो) कार्य परिषद के सदस्य,
- (तीन) वित्त अधिकारी

#### वर्ग-दो आजीवन सदस्य

(चार) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिति के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीव सदस्य था:

#### वर्ग - तीन अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

- (पांच) विश्वविद्यालयं तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के ने
- (छ:) विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालय तथा संस्थानों के छात्रीण और छात्र निवास के प्रोवोस्टों तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका खी चक्रानुक्रम से, ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय;
- (सात) पन्द्रह अध्यापक जिनका चयन ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित जाय:
- (आठ) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध मण्डल के दो प्रतिनिधि जिल्ली चयन चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से किया जाय जैसी विहित की जाय:

#### वर्ग - चार रजिस्ट्रीकृत स्नातक

#### वर्ग- पांच छात्रों का प्रतिनिधित्व

(दस) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में, विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय में किसी स्नातकोत्तर उपाधियों के शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर हा हो,

#### वर्ग - छह राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

- (ग्यारह) विधान परिषद के दो सदस्य, जिनका चयन उसके द्वारा किया जाय;
- (बारह) विधान सभा के पांच सदस्य, जिनका चयन उसके द्वारा किया जाय।
- (2) उपधारा (1) में वर्णित वर्ग एक, दो और पांच के सिवाय प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदाविध तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदाविध एक वर्ष होगी।
- समा की शक्तियां 15— सभा एक सलाहकार निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा कर्तव्य उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात —
  - (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय—समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपायों का सुझाव देना;
  - (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखों तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करनाः
  - (ग) कुलाधिपति को किरी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उन्हें सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जाएं, सलाह देना; और
  - (घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाएं।
  - (1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा जो कुलपित द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा।
  - (2) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा, और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।
  - (1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए —
    - (क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और सामान्य विनियमन करेगी;
    - (ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद को सलाह थे सकेगी, और
    - (ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होगें जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जाएं।
  - (2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात -
    - (एक) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

सगा का अधिवेशन

विद्या परिषद

16-

17-

- (दो) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष,
- (चार) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों;
- (पांच) घटक महाविधालयों के प्राचार्य तथा संस्थानों के निदेशक;

- (छः) प्रत्येक घटक महाविद्यालय से (यदि कोई हों) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में जो विहित रीति में अवधारित की जाए, दो आचार्य:
- (सात) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका, विहित्त शिति मूं चक्रानुक्रम से, चयन किया जाए;
- (आठ) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाय;
  - (नौ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष; और
- (दस) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रीति से सहयोजित किये जाएंगे।
- (3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदाविध ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

वित्त समिति

- 18- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :--
  - (क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;
  - (ख) राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का सचिव:
  - (ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव:
  - (घ) कुलसचिव;
  - (ड) परीक्षा नियंत्रक;
  - (च) कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य परिषद या विधा परिषद का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुका महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो; और
  - (छ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।
- (2) उपधारा—(1) के खण्ड—(ख) एवं खण्ड—(ग) में निर्दिप्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अभिन पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।
- (3) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन रं। सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। यह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान गें रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीगा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीगा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।
- (4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाएं।
- (5) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जायं, कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेंगी और यदि कार्य परिषद, वित्ता समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमित के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुन: वित्ता समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मागले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा. जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

संकाथ

- 19- (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जैसे िं किए जाएं।
  - (2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग मां जैसे विहित्त किए जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय क्षेत्र के उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाएं।
  - (3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा. जिसायः गठन (जिसके अन्तर्गत उसके

सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वहीं होगें जो विहित

- (4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रग से. ज्येष्ठता क्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
- (5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह -
  - (क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; तथा
  - (ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।
- (7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये ज़ाए।
- (8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

एवेश समिति

- 20-
- (1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन इस प्रकार होगा जैसा अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाय।
- (2) प्रवेश समिति को 'उतनी उप—समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे,
- (3) विद्या परिषद के अधीक्षणाधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उपसमिति को भी नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- (4) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंधन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंधन करके दिये गये किसी प्रवेश को रदद करने की कुलपित को शक्ति होगी।

परीक्षा समिति

- 24
- (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जिसका गठन इस प्रकार होगा जैसे अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाय।
- (2) परीक्षा समिति, साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है; पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात :--
  - (क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों की नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तों उन्हें हटाना:
  - (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय—समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
  - (गं) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद से सिफारिश करना;
  - (घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

- (3) परीक्षा समिति उतनी उप—समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे अ विशिष्टतया किसी एक या अधिक शक्तियों अथवा उप—समितियों को परीक्षार्थियों अ अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित गामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही
- (4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कि परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप—समिति या किसी व्यक्ति के लिए, परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोग किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित कि विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों उपयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकारी

22— विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे हुं। जैसे विहित किये जाएं।

#### अध्याय-पांच

#### विश्वविद्यालय के अध्यापको तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्ते

अध्यापकों की नियुक्ति 23— विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुर्क्ति और उनकी सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जांय।

#### अध्याय--छः

#### सम्बद्धता

महाविद्यालयों की सम्बद्धता 24- (1) यह धारा महाविद्यालयों पर लागू होगी।

- (2) कार्य परिषद. कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, राम्बद्धता की ऐसी शर्तों को जैसी विहित की जाएं पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कगी कर सकेगी।
- (3) किसी महाविद्यालय के लिये, उसी स्थानीय क्षेत्र में रिथत किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।
- (4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध और नियंत्रण करने के लिये स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रखरखाव के लिये उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत् करेगा जिन्हें कार्य परिषद या कुलपति गांगे।
- (6) कार्य परिषद, प्रत्येक महाविद्यालय का, अपने द्वारा इस निगित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय—समय पर पांच वर्ष से अनिधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगीं और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को भेजी जायेगी।
- (7) कार्य परिषद, इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर जैसी विभिद्धिंध्य की जाए, ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दें सकेंगी जो उस आवश्यक प्रतीत हो।

- (8) कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शतों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से विनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।
- (9) उपधारा (2) एवं (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी विद्यालय का प्रबन्धतंत्र, सम्बद्धता की शर्ते पूरी करने में असफल रहा है तो कुलाधिपति, प्रबन्धतंत्र और-कुलप्ति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कभी कर सकेगा।

प्रबन्धतंत्र की सदस्यता के 25-लिए अनर्हता

कोई भी व्यक्ति, (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरहित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का। निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है।

निरीक्षण एवं जांच

26-

- (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसा वह निदेश दे, किसी महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।
- (2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करें तो वह उसकी सूचना महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र को देगी और प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाद्यालय की ओर से कोई विधि ध्यवसायी न तो उपरिथत होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर राक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिये तथा दरतावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये गजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगीं और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 46 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा—193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।
- (4) राज्य सरकार महाविद्यालय प्रवन्धतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतंत्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

- राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र को दी गयी किसी (5) संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपित कार्यपरिषद को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य, सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह को संसूचित करेगा।
- तत्पश्चात, कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा कि राज्य सरकार समय (6) निश्चित करें, उस अवधि के अन्दर कार्यकारी परिषद द्वारा की गयी कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
- यदि राज्य सरकार की संतुष्टि हेत् विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा (7) निश्चित समय में कार्यवाही नहीं की जाती है तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें विचारोपरान्त ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे।
- राज्य सरकार महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण (8) या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी किसी भी समय मांग सकेगी।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

27-

28-

किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से विनियमों में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नगद हो या वस्तू रूप में न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

#### अध्याय-सात

#### परिनियम एवं अध्यादेश

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

- विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिराूचना द्वारा (1) बनाये जायेंगे।
- कार्य परिषद समय-समय पर नए या अंतिरिक्त परिनियम बना सकेगी (2) या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमो में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी :

परन्तू यह कि कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रस्थिति, शक्तियों या गठन को प्राभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का युक्ति-युक्त अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार न किया गया हो।

पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, (3) अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा दिये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त

परिनियम बनाने या उपधारा (1) में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना राकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियम का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

- (4) इस अधिनियम के उपवन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किए जायेंगे।
  - (क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य,
  - (ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, तथा अन्य कर्मचारियों के लाग के लिये पेन्शन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा योजना की स्थापना,
  - (ग) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना,
  - (घ) उपाधिया और अन्य शैक्षिक विशिष्टियों को वापस लेना,
  - (ड) वे शर्ते जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाए और वे शर्ते जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके.
  - (च) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधिया तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टियो और उनके लिये अर्हतायें और उसे प्रदान करने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में ली जाने वाली धनराशि,
  - (छ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टियों के लिये ली जाने वाली फीस,
  - (ज) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्ते,
  - (झ) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्ते और उनके नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं.
  - (ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियां और सेवा के निबन्धन और शर्ते,
  - (ट) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपवन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे
  - इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए. अध्यादेशों को कार्य परिषद द्वारा बनाया जायेगा जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे. अर्थात:--
  - (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन.
  - (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,
  - (ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम,
  - (घ) उपाधियों: डेप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षिणिक

अध्यादेश बनाने की 29— (1) शक्ति विशिष्टियां प्रदान करना, और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले माध्यम,

- (ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिये परीक्षाओं में प्रवेश और विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के लिये प्रभारित की जाने वाली फीस.
- (च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें.
- (छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और परीक्षकों और अनुसीमकों के कर्तव्य भी हैं.
- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्ते,
- (झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हो, और उनके लिये विश्वविद्यालय के भीतर विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना,
- (ञ) ऐसे कर्मचारियों जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां,
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शारत्रीय अध्ययन, विशिष्टि केन्द्रों, विशिष्टि प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना,
- (ठ) अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघों को सम्मिलित करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहमागिता
- (ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन संरचना और कृत्य,
- (ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीकारों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक,
- (ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्ते जो परिनियमों द्वारा विहित न किये गये हों.

#### अध्याय--आठ

#### वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

- 30— (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये. उपाय होंगे।
  - (2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसी दिनांक को या इसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो विहित किया जाए।
  - (3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

31- (

(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनिधक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।

- (2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
- (3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य परिषद के ध्यान में लाये जारोंगे और ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद के विचार यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पात्त को हानि, दुर्व्यय, या दुरूपयोजन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निदेश दे सकेगी।

- (2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करें।
- (3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाए तो अधिभार को बकाये के रूप में, या ऐसी अन्य रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए, वसूल किया जायेगा।

#### अध्याय-नौ प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों 33— और सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

32--

अधिभार

- (1) इस अधिनियम व परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्य, यथासम्भव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे,
- (2) जहां इस अधिनियम या पिरिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाए।

आकस्मिक रिक्तियों की 34— (1) पूर्त

- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा और उस अवशिष्ट अविध के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता,
- (2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

- 35— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगा कि
  - (क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रृटि थी, या
  - (ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था, या
  - (ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नाम—निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या
  - (घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पडता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

36-

37--

38-

कार्य परिषद, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति एसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है जो कार्य परिषद की राय में नैतिक अधमता संबंधी अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारो पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गर्मी कोई उपाधि, या प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्देश

यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक्रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत परिनियम की विधिमान्यता सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये विनियमों के अनुरूप है या नहीं तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश -

- (क) उस तारीख से जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीनी मास से अधिक के पश्चात्, या
- (ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा।

वाद का वर्जन

राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या उसके निकाय के विरूद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के अनुसंर्ण में किये गये अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यविद्या की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख 39— को सिद्ध करने की रीति

- (1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अंथवि समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प भी अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुर्रेष्टि किसी रिजस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वीप प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही भी संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रिजस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथा दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभितिखा विषय तथा व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण आयेगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साम्यान
- (2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई दस्तीय रिजस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तवर्स्तुएं उपधारा (1) के अधि प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अधि उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जंब कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

कृतिनाईयां दूर करने की 40—

(1)

- राज्य सरकार किसी कठिनाई को, दूर करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कलावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे
- -- परन्तु इस अधिनियम के-प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई ओदश नहीं किया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपित्त नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

#### उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू मानृ भाषा के रूप में बोली जाती है। उर्दू भाषा को इस प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में जिसके अन्तर्गत अरबी और फारसी भाषायें भी है, अपने अध्ययन को उच्चतर स्तर तक जारी रख सकें। राज्य में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है, जिसमें उर्दू अरबी या फारसी भाषा में उच्च अध्ययन बनाये रखने में रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए उर्दू अरबी या फारसी भाषा में उच्च अध्ययन बनाये रखने में रूचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए उर्दू अरबी या फारसी भाषा के उच्चतर अध्ययन और उसमें अनुसंघान कार्य की सुविधा दी जा सके। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ में एक अरबी—फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, जिसमें छात्रों को उर्दू आरबी और फारसी भाषा के अध्यापन एवं शोध के द्वारा उन्नत ज्ञान, प्रज्ञा एवं समझ को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो सके।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश अरबी-फारसी विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा, सचिव।

No: 493(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka)9-2009 Dated Lucknow, February 28, 2009

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Arbi Farsi Vishwavidyalaya Adhiniyam. 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the Governor on February 27, 2009.

#### THE UTTAR PRADESH ARABI PHARSI UNIVERSITY

ACT, 2009

(U.P. Act no. 12 of 2009)

[As passed by Uttar Pradesh Legislature]

'AN

ACT

To provide for the establishment of an Arabi-Pharsi University at Lucknow in Uttar Pradesh for leaching and research in Urdu Arabi and Pharsi languages and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixteeth year of the Republic of India as follows:-

#### **CHAPTER-I**

#### **PRELIMINARY**

Short title.

1.

- (1.) This Act may be called the Uttar Pradesh ARABI PHARSI UNIVERSITY ACT, 2009
  - (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint.

**Definitions** 

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
  - (1) Academic Council', 'Court' and 'Executive Council' mean respectively the Academic Council, the Court and the Executive Council of the University;
  - (2) 'affiliated college' means an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act or the Statutes of the university;
  - (3) 'associated college' means any institution recognised by the University:
  - (4) 'faculty' means a faculty of the University;
  - (5) 'hall' (or college) of the University means a unit of residence for students maintained or recognised by the University at which provision is made for imparting tutorial and other supplementary instructions;
  - (6) 'hostel' of the University, means a unit of residence for students maintained or recognized by the University, other than hall, and hostel of an affiliated or associated college means a unit of residence for students of that college;
  - (7) 'prescribed' means prescribed by the statutes;
  - (8) 'principal', in relation to an affiliated, associated or a. constituent college, means the head of such college;
  - (9) 'registered graduate' means a graduate of the University;
  - (10) 'statutes', 'ordinances' and 'regulations' means respectively the statutes' ordinances and regulations of the University;
  - (11) 'teacher' means a person employed in the University or in an institute of in a constituent, affiliated or associated college of the University;
  - (12) 'university' means the Uttar Pradesh ARABI- PHARSI UNIVERSITY, established under section 3.

#### CHAPTER-II

#### THE UNIVERSITY

Establishment and incorporation of the University

- There shall be established at Lucknow in Uttar Pradesh by the name of the Uttar Pradesh Arabi Pharsi University.
  - (2) The University shall be body corporate:

Object of the University 4. The object of the university shall be to provide advance knowledge and wisdom and understanding by teaching and research of Urdu, Arbi and Pharsi languages to the scholars

University open to all classes and creed

5.

The University shall be open to all persons irrespective of class or creed, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the ordinances:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other backward classes of citizen.

Power and duties of the University

- The University shall have the following powers and duties, namely -
  - to provide for instructions in such branches of learning as the University
    may think fit, and to make provision for research and for the advancement
    and dissemination of knowledge;
  - (2) to admit any college to the privileges of affiliation or recognition and to guide and control the work of affiliated and associated colleges;
  - (3) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;
  - (4) to hold examination for granting and confering degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons who-
    - (a) have pursued, a course of study in the University, a constituent college or an affiliated college, or associated college; or
    - (b) have carried on research in the University or in an institution

- recognised in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the statutes and the ordinances; or
- (c) have pursued a course of study by correspondence whether residing within the area of the University or not, and have been registered by the University, subject to such conditions as may be laid down in the statutes and ordinances as external candidates; or
- (d). are teachers or other employees in the University or in an Institute or in a constituent or affiliated or associated college or in any other educational institutions under conditions laid down in the statutes and the ordinances or are inspecting officers permanently employed in the Department of Education of the State Government, are eligible and have carried on private studies under conditions laid down in the statutes and the ordinances; or
- (e) are women and are eligible and have carried on private studies under conditions laid down in the statutes and ordinances; or
- (f) are blind and are eligible and have carried on private studies under conditions laid down in the statutes and the ordinances:
- (5) to hold examinations for and to grant the degree of the University to the persons under conditions laid down in the statutes and the ordinances.
- (6) to confer honorary degree or other academic distinction in the manner and under conditions laid down in the statutes:
- (7). to grant such diplomas to and to provide such lectures and instructions, for persons, not being students of the University, as the University may determine;
- (8) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
- (9) to institute leaching posts required by the University and to appoint persons to such post.
- (10) to recognize teachers for giving instruction in halls;
- (11) to lay down the conditions of affiliation or recognition of colleges and to satisfy itself by periodical inspection and otherwise that those conditions are satisfied;
- (12) to institute and award scholarships, fellowships (including traveling fellowship), studentships and prizes in accordance with the statutes and the ordinances:
- (13) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for students of the University, the Institutes or the constituent or associated colleges affiliated; or
- (14) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the ordinances;
- (15) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University, the Institute and the constituent or affiliated or associated colleges and to make arrangements for promoting their health;
- (16) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto; and
- (17) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not as may be required in order to further the objects of the University.

#### CHAPTER-III

#### OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Officer of the University

- 7. The following shall be the officers of the University
- (a) the Chancellor

- (b) the Vice Chancellor;
- (c) the Finance Officer;
- (d) the Registrar;
- (e) the Controller of Examinations;
- (f) the Deans of Facilities;
- (h) such other officers as may be declared by the Statues to be the officers of the University.

The Chancellor

8.

9.

- (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and the President of the court and shall, when present, preside at meeting the court and at any convocation of the University.
- (2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
- (3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.
- (4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the statutes.

The Vice Chancellor

- (1) The Vice Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst the persons whose names are submitted to him by the committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).
- (2) The committee shall consist of the following members, namely:-
  - (a) One person (not being a person connected with the University, an Institute, a constituent college, an associated or affiliated college or a hall or hostel) to be elected by the Executive Council (at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term);
  - (b) One person who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad nominated by the Chief Justice; and
  - (c) One person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the committee:

Provided that where the Executive Council fails to elect, any person in accordance with clause (a), then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under clause (c), one person in lieu of the representative of the Executive Council.

(3) The committee, shall, as far as may be at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry-of term or resignation under sub-section (7) and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice Chancellor. The committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic

qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate, any order of preference.

- (4) Where the Chancellor does not consider any on or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).
- (5) If the Committee in the case referred to in sub-section (3) or sub-section (4) fails or is unable to suggest any names within the time specified by the Chancellor, or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh names recommended by the Committee to be suitable for appointment, as Vice-Chancellor another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be constituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with sub-section (3).
- (6) No act or proceeding of the committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.
- (7) (a) Only such persans shall be eligible for apointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of sixty five years;
  - (b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier;
  - (c) The Vice-Chancellor who has not attained the age of sixty fore years may be appointed as such for second Terms:

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign, his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

- (8). Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.
- (9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund constituted under section 33 of the State University Act, 1973:

Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or associate college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution of the University shall be limited to what it had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

- (10) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole judge), the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify:—
  - (a) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor;

- (b) Where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and ill cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5);
- (c) Any other emergency:

Provided that the Chancellor may, from time to time, extend, the term of appointment of any person to the office of the Vice-Chancellor under this sub-section, so however, that the total term of such appointment including the term fixed in the original order does not exceed one year.

- (11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5), or sub-section (10) assumes office, the senior most Professor of the University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.
- (12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.
- (13) During the pendency, or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (12) the Chancellor may order that till further orders:—
  - (a) Such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under subsection (8);
  - (b) The functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

#### Powers and duties of the Officers

The powers and duties of the Finance Officer, the Registrar, the Controller of Examination, the Deans of Faculties and other officers of the University shall be such as may be prescribed.

#### CHAPTER-IV

#### **AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY**

#### Authorities of the University

- 11. The following shall be the authorities of the University:
- (a) the Executive Council;
- (b) the Court;

10

- (c) the Academic Council;
- (d) the Finance Committee;
- (e) the Faculties:
- (f) the Admissions Committee;
- (g) the Examination Committee; a
- (h) such other authorities as may be declared by the Statues to be authorities of the University.

### Constitution of the Executive Council,

- 12. (1) The Executive Council shall consist of :-
  - (a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
  - (b) The Deans of two Faculties by rotation in the manner as prescribed, by the statues of the University.

- (2) (a) Two Professors [other than a Dean referred to in clause (b) of subsection (1) two Readers and two Lecturers of the University, to be selected in such manner as may be prescribed:
  - (b) One Principal of an affiliated college to be selected in such manner as may be prescribed.
- (3) Four persons to be elected by members of the Court from amongst such of them as are not enrolled as students of or in the service of the University or an Institute or of a constituent college or an affiliated or associated college or hall or hostel.
- (4) (a) Four persons of academic eminence to be nominated by the Chancellor;
  - (b) One person, from amongst the reputed industrialists who have made valuable contribution in the field of higher education to be nominated by the State Government:

Provided that one of the persons to be nominated under this sub-section shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or High Court.

- (5) The term of office of members shall be such as specified in the statutes and ordinances of the University.
- (6) No person shall be a member of the Executive Council for more than two consecutive terms.
- (7) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, no person shall be elected or nominated as a member of the Executive Council unless he is a graduate.
- (8) A person shall be disqualified for being chosen as and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or any hall or hostel or proctor or tutor for any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation:— In this section 'relative' means the relations defined in section 6 of the Companies Act, 1956 and, includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

Powers and duties of Executive Council

13.

- (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and subject to the provisions of this Act have the following powers, namely -
  - (i) to hold and control the property and funds of the University;
  - to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;
  - (iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances
  - (iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
  - (v) to prepare the budget of the University;

- (vi) to award scholarship, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances:
- (vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service, all to provide for the filling of temporary easual vacancies in their posts;
- (viii) to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners;
- (ix) to advant any college to the privileges of affiliation or recognition:
- (x) to arrange for and direct the inspection of Institutes, affiliated, associated or constituent colleges, halls, hostels and other places of residence of students;
- (xi) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (xii) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and the Ordinances;
- (xiii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;
- (xiv) to invest any money belonging to the University;
- (xv) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xvi) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;
- (xvii) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as Institutes, constituent, affiliated and associated colleges in accordance with this Act the Statutes and the Ordinances.
- (2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government, or with the previous sanction of the State Government, from any other person.
- (3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created either in the University or in any Institute or constituent college maintained by the University except with the prior approval of the State Government or except in accordance with any general or special order of the State Government.
- (4) The Executive Council may, with the prior approval of the University
  Grants Commission and the State Government create supernumerary
  post of teacher of the University with a view to enabling a teacher
  who is for the time being holding a responsible position of national

importance in India or abroad in educational administration or other similar assignments, to retain his lion, and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with the Statutes:

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the University for the period of such assignment.

- (5) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University or of any Institute or constituent college or affiliated or associated college shall be such as may be approved by the State Government.
- (6) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.
- (7) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.
- (8) The Executive Council shall give due consideration to every resolution of the Court, and take such action thereon as it shall deem fit and report to the Court, the action taken or, as the case may be, the reasons for nonacceptance of the resolution.
- (9) The Executive Council may subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University, or to a Committee appointed by it.

The Court

14. (1) The Court shall consist of the following members, namely:-

#### Class I- Ex-Officio Members

- (i) the Chancellor who shall be the Chairperson;
- (ii) the members of the Executive Council;
- (iii) the Finance Officer;

#### Class II- Life Members

 iv) in the case of an existing University, every person who was a life member of the Court or Senate immediately before the commencement of this Act;

#### Class-III- Representatives of teachers, etc.

- (v) all heads' of departments of the University and of constituent, colleges maintained by it;
- (vi) two representatives of provosts and wardens of hostels and halls
  of the University and of its constituent colleges and Institutes to
  be selected by rotation in such manner as may be prescribed;
- (vii) fifteen teachers to be selected in such manner as may be prescribed;
- (viii) two representatives of the managements of the affiliated or associated colleges to be selected by rotation in such manner as may be prescribed:

#### Class-IV -Registered Graduates

(ix) fifteen representatives of registered graduates to be elected, by registered graduates of such standing as may be prescribed from

amongst such of them as are not in the service of the University or of an Institute or of a constituent <sup>1</sup> college or in the service or connected with the management of affiliated college, associated college, hall or hostel;

#### Class-V- Representation of Students

(x) one student from each of the Faculties, who having secured the highest marks in that Faculty at the preceding degree examination of the University shall pursue a course of study for a postgraduate degree in the University.

#### Class-VI- Representatives of the State Legislature

- (xi) two members of the Legislative Council to be elected by it; (xii) five members of the Legislative Assembly to be elected by it.
- (2) The term of office, of members of each class, except Classes I. II and V mentioned in sub-section (1) shall be three years and the term of the members of the said class V shall be one year.

#### Powers and duties of the Court

15.

16.

17

- The Court shall be an advisory body subject to the provisions of this Act, shall have the following powers and functions, namely:—
  - (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes
    of the University and to suggest measures for the improvement
    and development of the University;
  - (b) to consider and pass resolutions on the annual report the annual accounts of the University and the audit report thereon:
  - (c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
  - (d) to perform such other duties and exercise such other functions as may be assigned to it by this Act or the Statutes or by the Chancellor.

#### Meeting of the Court

- (1) The Court shall-meet once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor and such meeting shall be called the annual meeting of the
- (2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit and shall, upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total member of the Court, convene a special meeting of the Court.

#### Academic Council

- (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and subject to the provisions of this Act the Statutes and the Ordinances -
  - (a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction, education and research carried on or imparted in the University;
  - (b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and
  - (c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
- (2) The Academic Council stall consist of the following members, namely
  - (i) the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson;
  - (ii) the Deans of all Faculties;

- (iii) all Heads of Departments of the University;
- (iv) all Professors of the University who are not Heads of Departments;
- (v) the Principals of constituent colleges and the Directors of Institutes;
- (vi) two Professors, from each constituent college, if any by rotation in order of seniority to be determined in the manner prescribed;
- (vii) three Principals of affiliated or associated colleges to be selected by rotation in the manner prescribed;
- (viii) fifteen teachers to be selected in the manner prescribed;
- (ix) the Librarian of the University; and
- five persons of academic eminence to be co-opted in the manner prescribed.
- (3) The term of office of members other than ex-officio members shall be such as may be prescribed.

#### The Finance Committee

- 18. (1) The Finance Committee shall consist of-
  - (a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairperson,
  - (b) the Secretary to the State Government in the Minority Welfare & Waqf Department.
  - (c) the Secretary to the State Government in the Finance Department;
  - (d) the Registrar;
  - (c) the Controller of Examinations;
  - (f) one person, not being a member of the Executive Council or the Academic Council or a person in the service of the University or an Institute or of a constituent college, or a member of the Managing Committee of any affiliated or associated college, or a person in the service of such college, to be elected by the Executive Council; and
  - (g) the Finance Officer who shall also be the Secretary of the Committee.
  - (2) A member referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, depute an officer not below the rank of a Joint Secretary to the State Government and an officer so deputed shall also have the right to vote.
  - (3) The Finance Committee, shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.
  - (4) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.
  - (5) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreement and if

the Executive Council again disagrees with the recommendation of the Finance Committee the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

#### The Faculties

- 19. (1) The University shall have such Faculties as may be prescribed
  - (2) Each Faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinances.
  - (3) There shall be a Board of each Faculty, the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties of which shall be such as may be prescribed.
  - (4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years.
  - (5) The Dean shall be the Chairman of the Board of Faculty and be responsible for -
    - the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty; and
    - (b) the due observance of the Statues. Ordinances and Regulations relating to the Faculty.
  - (6) In each Department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statues.
  - (7) The Head of Department shall be responsible to the Dean for the organization of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.
  - (8) There shall be constituted in accordance with the provisions of une of Ordinances, Boards of Studies in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.

#### The Admissions Committee

20. (1) There shall be an Admissions Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be laid down in the

of sub-committees as it thinks fit.

- Ordinances.

  (2) The Admissions Committee shall have the power to appoint such number
- (3) Subject to the superintendence of the Academic Council, the Admissions Committee shall lay down the Principles or, loams governing the policy of admission not various courses of studies in the University and may also nominate a person or a sub-committee as the admitting authority in respect of any course of study in an Institute or a constituent college's maintained by the University.
- (4) No student admitted to any college in contravention of the provisions of this section shall be permitted to lake up any examination conducted by the University, and the Vice-Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

### The Examinations Committee

21.

- (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be such as may be laid down in the Ordinances.
  - (2) The Examination Committee shall supervise generally all examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely -

- (a) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them:
- (b) to review from time to time, the results of University examinations and submission of reports thereon to the Academic Council;
- (c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;
- (d) to scrutinize the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalise the same and declare the result of the examination of the University
- (3) The Examinations Committee may appoint such number of subcommittees as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.
- (4) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, it shall be lawful for an Examinations Committee or, as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examinations Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations: of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

Others Authorities

22. The constitution powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

#### CHAPTER-V

### APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

Appointment of Teachers 23. The appointment of the teachers and other employees of the University and the terms and conditions of service shall be such as may be prescribed.

#### CHAPTER-VI AFFILIATION

Affiliation of Colleges

- 24. (1) This section shall apply to the colleges.
  - (2) The Executive Council may, with the previous sanction of the Chancellor, admit any college which fulfils such conditions of affiliations, as may be prescribed to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or withdraw or curtail any such privilege.
  - (3) It shall be lawful for a college to make arrangement with any other college situated in the same local area, or with the University, for co-operation in the work of teaching or research.
  - (4) Excepts as provided by this Act, the management of a college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and up keep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.
  - [5] Every College shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice Chancellor may call for.
  - (6) The Executive Council shall cause every college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in that behalf, and a report of the inspection shall be

made to the Executive Council.

- (7) The Executive Council may direct a college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such periods as may be specified.
- (8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (7) or to fulfill, the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Regulations.
- (9) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (8) if the Management of any college has failed to fulfil the conditions of affiliation, the Chancellor may after obtaining a report from the Management and the, Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation

Disqualification for Membership of Management 25. A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Management of a college (other than a college) maintained exclusively by the Slate Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to, or for the execution of and work for such college.

Inspection and Inquiry

26.

- (!) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person as it may direct, of any college, including its buildings laboratories and equipments thereof and also of the examination, teaching and other work conducted or done by it, or cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration, and finances of such college.
- (2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Management of the collage and a representative appointed by the Management and where' the Management fails to appoint a representative, the Principle of the college may be present at such inspection or inquiry and shall have the right to be heard on behalf of the Management but no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the college at such inspection or inquiry.
- (3) The person or persons appointed to inspect or inquiry under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of the Civil Procedure, 1908 for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 345 and 346 of the code of criminal procedure 1973 and an} proceeding before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of section 193 and 228 of the in...ian Penal Code.
- (4). The State Government may communicate to the Management of the college, the result of such inspection or inquiry and may issue direction as to the action to be taken and the Management shall fortwith comply with such direction.
- (5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about the communication made by it to the Management under subsection (4) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council

- the views, of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.
- (6) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to a report of the action taken or proposed to be taken by (the Executive Council.
- (7) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering an explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit. and the University authorities shall be bound to comply with such directions.
- (8) The State Government may at any time, call for any information from the Management or Principal of college in connection with such inspection or inquiry.

Bar on charge g of any donation etc. for admission to a college

27.

28.

No person connected with the Management of a college and no principal or other teacher or employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause 10 be taken or received any contribution, donation fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down in the Regulations from or on behalf of any pupil as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college.

#### CHAPTER-VII

#### Statutes and Ordinances

Statutes how made

- (1) The First Statutes of the University shall be made by the State Government by notification.
- (2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the statutes referred to in sub-section (I):

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any statutes affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity to express its opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed has been considered by the Executive Council.

- (3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or the State or National Education Policy require the Executive Council to make new or additional statutes or amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (2) within a specified, time and if the Executive Council fails, to comply with such requirement the Stale Government may make new or additional statues amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1) or sub section (2).
- (4) Subject to the other provisions of this Act the status may provide for any matters relating to the University and shall in particular, provide for
  - (a) the appointment, powers and duties of the officers of the University

- (b) the constitution of Pension or Provident Fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the officers and other employees of the University;
- (c) the conferment of honorary degrees;
- (d) the withdrawi of degrees and other academic distinctions;
- (e) the conditions under which colleges may be admitted to privilege of affiliation by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;
- (f) the degrees and other academic distinctions to be awarded by the University, the qualifications for the same and the amounts to be taken relating to the granting and obtaining of the: same;
- (g) the fees to be charged for courses of the study in the University and for admission to the examination, degrees and other academia distinctions of the University;
- (h) the conditions of the award of fellowships, scholarships; studentships, medals and prizes;
- the conduct of examinations including terms of office and manner of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators;
- the power to remove officers (excluding Chancellor) and employees of the University and their emoluments and terms and conditions of service;
- (k) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Regulations.

#### Power to make Ordinances

- 29. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinance shall be made by Executive Council which may provide for all or any the following matters namely:.-
  - (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
  - (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
  - (c) the medium of instruction and examination .:
  - (d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
  - (e) the fees to be charged for courses of study in the University for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;
  - (f) the conditions for the award of fellowships, scholarships; studentships, medals and prizes;
  - (g) the conduct of examinations, including the term of office;
    manner of appointment and the duties of examining bodies
    examiners and moderators;
  - (h) the conditions of residence of the students of the University;
  - (i) the special arrangements, if any, which may be made for residence, discipline and teaching of women students and I

- prescribing of special courses -of studies for them within the University;
- (j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;
- (k) the establishment of Centers of Studies. Boards of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;
- (l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations;
- (m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving-the academic life of the University;
- (n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators:
- (o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

#### **CHAPTER-VIII**

#### **Annual Reports and Accounts**

#### Annual Report

30.

31.

- (1.) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objectives.
- (2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed.
- (3) A copy of annual report, prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the State Government.

#### Accounts and Audit

- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Director", Local Fund Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorise in this behalf.
- (2) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the state Government along with the observation, if any of the executive council before the thirtieth of September's every year.
- (3) Any observation made by the State Government on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations shall be submitted, to the State Government.
- 32. (1) Whenever any complaint is received by the State Government regarding loss, waste or misapplication of any money or property of the University or the State Government on its own thinks fit, it may direct for special audit of the University being done by the Director, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh or by any officer subordinate to him.
  - (2) On receiving special audit report, the State Government shall issue a notice to the officer of the University on account of whose, negligence

- or misconduct, the loss, waste or misapplication referred to in subsection (1), has occurred, calling upon him to explain his action within the time fixed by the State Government in this behalf.
- (3) If the State Government is of the opinion that the officer should be held responsible for paying the surcharge: determined by the State Government, the surcharges shall be recovered as arrears or in such other manner as may be directed by the State Government.

#### CHAPTER-IX

#### Miscellaneous

#### Manner of appointment of officers and members of authorities

- (1.) Except as expressly provided by this act, or the Regulations officers of the University and members of authorities of the University shall so far as may be; be chosen by methods other than election.
- (2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualifications the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.

### Filling of causal vacancies

34. (1)

35.

33.

- Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the member whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
- (2) A person who is a member of an authority of the University as a representative of another body whether of the University or outside; shall retain his on such authority for so long as he continues to be the representative of such body.

## Proceeding not to be invalidated by vacancy, etc.

- (1) No act or proceeding, of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of:-
  - (a) any vacancy or defect in the constitution thereof. .or.
  - (b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so or
  - (c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof, or
  - (d) any irregularity in the procedure not affecting the merits of the case,

# Removal from membership of the University

36. The Executive Council may be a two-third majority of the members present and voting, remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion-of the Executive Council, is an offence involving moral turpitude or upon the-ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person any degree of certificate conferred or granted by the University.

#### Reference to the Chancellor

37. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as is entitled to be, member of any authority or other body of the University of whether any decision of any authority or the officer of the University (including any questions as to the validity of a regulation) is in conformity with this Act of Regulations made thereunder the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor theron shall be final:

Provided that no reference under this section shall be made :-

- (a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time.
- (b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved.-

Bar of suit

38. No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or Statutes made thereunder.

Mode of proof of University records 39.

40.

(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings or a resolution of any authority or committee of the University or other documents in possessions of the University or any entry in any register duly maintained by the University if certified by the Registrar shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order proceedings, resolution or a document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would if

produced have been admissible in evidence.

(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party be required to produce any document register or other record of the University the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

Power to remove difficulties

(1) The State Government may for the purpose of removing any difficulty by notified order direct that the provision of this Act shall during such period as may be specified in the order have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the Stale Legislature
- (3) No order under sub- section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

#### **OBJECTS AND REASONS**

Urdu language is also spoken as mother tongue by a section of the society in Uttar Pradesh. The Urdu language is required to be developed in such a manner that any person of the society may continue his study to the higher stage of learning in Urdu literature including Arabi and Pharasi languages. There is no University in the State wherein higher study in Urdu, Arabi and Pharasi languages and research could be facilitated to the persons who are interested pursuing higher study in Urdu, Arabi and Pharasi languages. It has, therefore, been decided to established a University at Lucknow in the State of Uttar Pradesh by the name of Arabi and Pharasi University to provide advance Knowledge and wisdom and understanding by teaching and research in Urdu, Arabi and Pharasi languages to the scholars.

The Uttar Pradesh Arabi Pharasi University Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order, P.V. KUSHWAHA Sachiv.

पी०एस0यू०पी0—ए०पी० 1032 राजपञ्र(हि॰)—2009—(2233)—597 प्रतियां (कम्प्यूटर/टा/आफसेट)।

पी०एस0यू०पी०—ए०पी० 187 सा० थिघायी—2009—(2234)—850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

1032 RPH Sa. Vidhaika Data I